भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2523
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी

2523. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा साइबर धोखाधड़ी को नियंत्रण करने/रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या साइबर धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्डों की पहचान नहीं हो पाई है; और
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनके प्रयासों में उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन में सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2523 दिनांक 06.08.2024

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे की कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

केंद्र सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) शुरू किया है। पोर्टल अन्य बातों के साथ-साथ, नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, उनके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन को जानने और उनके द्वारा अनपेक्षित अथवा नहीं लिए गए मोबाइल कनेक्शनों को बंद किए जाने की रिपोर्ट करने, चोरी / खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की ब्लॉकिंग और ट्रेसिंग के लिए रिपोर्ट करने और भारतीय टेलीफोन नंबर पर आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल की कॉलिंग लाइन पहचान के रूप में रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2523 दिनांक 06.08.2024

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए दूरसंचार दुरुपयोग से संबंधित जानकारी और कारण सहित डिस्कनेक्ट किए गए नंबरों की सूची संबंधित हितधारकों के साथ साझा करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) शुरू किया है। केंद्र सरकार ने नकली/जाली दस्तावेजों पर प्राप्त किए गए फर्जी मोबाइल कनेक्शन का पता लगाने के लिए और पुनः सत्यापन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को निर्देशित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों का परिणाम निम्नानुसार है:

1.	नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या	73 लाख
2.	ब्लैकलिस्ट किए गए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस)	70,895
3.	ब्लैकलिस्ट किए गए पीओएस के खिलाफ दर्ज एफआईआर	365
4.	पूरे भारत में ब्लॉक किए गए मोबाइल हैंडसेट	2.26 लाख
5.	नकली/जाली दस्तावेजों पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन से जुड़े या साइबर अपराध में शामिल बंद किए गए व्हाट्सएप अकाउंट	7 लाख
6.	संचार साथी पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किए गए खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट	11 लाख
7.	नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल कनेक्शन, जो उनके द्वारा नहीं लिए गए थे	39.61 लाख
8.	निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन, जिन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया	65.77 लाख
9.	एसएमएस, हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट भेजने वाली प्रमुख संस्थाओं (पीई) की संख्या, जिन्हें ब्लॉक किया गया	20,096 पीई, 31,615 हेडर, 2 लाख टेम्पलेट
10.	डीआईपी पर साझा किए गए वे मोबाइल कनेक्शन, जिन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया	5.03 करोड़

*****